

FORM NO. III

फर्द अहकम

नियम 26

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा, राजस्थान

वकीली देवी बनाम जमनी

किस्म मुकदमा/धारा:- 111-128

प्रकरण संख्या 68/2026

जी.सी.एम.एस. नम्बर:-

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर तारीख अहकाम इस हुकम की तामील जारी हुए
8/04/2026	<p>प्रार्थना-पत्र नियमानुसार संलग्न दस्तावेजों एवं न्यायालय शुल्क के साथ न्यायालय क्षेत्राधिकार में पेश हुआ। पत्रावली की नियमानुसार जांच कर दर्ज रजिस्टर किया गया। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। पत्रावली में विपक्षीगणों की तलबी जरिये सम्मन मय नकल प्रार्थना-पत्र, विपक्षीगणों को भेजी जावें। पत्रावली आगामी पेशी दिनांक 15/4/2026 को वास्ते इन्तजार तामील/तलबी रिपोर्ट पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां/जिला भीलवाड़ा</p>	
15/4/2026	<p>पत्रावली पेश हुई। समस्त विपक्षीगणों की वाद तामील प्राप्त हुई। जिसे संलग्न पत्रावली किया गया। समस्त विपक्षीगणों को 3-वार आवाज लगाई गई, परन्तु कोई उपस्थित नहीं हुआ। पत्रावली में एक-पक्षीय आदेश मारित किए गए। पत्रावली में आदेश मारित किए गए। पत्रावली में आदेश मालनार्थ तहसीलदार बिजौलियां को लिखा जावे। पत्रावली नम्बर से कम छोडर दाखिल दफ्तर हो।</p> <p style="text-align: right;">उप खण्ड अधिकारी बिजौलियां जिला-भीलवाड़ा</p>	



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या - 68/2026

दि. तारीख - 8/4/2026
दि. तारीख - 15/4/2026

प्रेषिति :-

तहसीलदार
बिजौलियाँ

विषय :- प्रकरण संख्या 68 / 2026 पत्थरगढी बाबत।

01. घीसी देवी पत्नि हीरालाल जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी उमाजी का खेडा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाडा (राज0)
02. छोटी देवी पत्नि नाना लाल जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी उमाजी का खेडा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाडा (राज0)
03. मनोज कुमार पुत्र छितरलाल जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी उमाजी का खेडा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाडा (राज0)

.....प्रार्थीगण

बनाम

01. जमनी पुत्री चुनीलाल जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी उमाजी का खेडा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाडा (राज0)
02. शंकर लाल पुत्र कजोड जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी उमाजी का खेडा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाडा (राज0)
03. दुर्गेश कुमार पुत्र देवा लाल जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी उमाजी का खेडा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाडा (राज0)

.....विपक्षीगण

उपर्युक्त विषयान्तर्गत अनवानी प्रकरण में आदेश होकर लेख है कि मौजा उमाजी का खेडा पटवार हल्का उमाजी का खेडा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में आराजी संख्या 112/1, 189/3, 189/4, 4, 474/190 कुल किता 5 रकबा 0.4289 हैक्टेयर भूमि की बशामलात पडौसीयान को सुचित करते हुए पत्थरगढी की जावें। मौके पर पत्थरगढी के दौरान कब्जा किसी अन्य का पाया जावे तो जरिये पत्थरगढी कब्जा नहीं हटाया जावे तथा समक्ष न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु सूचित करें। आदेश पत्थरगढी हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक उमाजी का खेडा को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस वक्त मौका प्रार्थी अदा करे।

पत्थरगढी कर पालना रिपोर्ट 20 दिन में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करे।



उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या :- 68/26

दि. तारीख - 8/4/26

01. घीसी देवी पत्नि हीरालाल जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी उमाजी का खेडा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज0)
02. छोटी देवी पत्नि नाना लाल जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी उमाजी का खेडा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज0)
03. मनोज कुमार पुत्र छितरलाल जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी उमाजी का खेडा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज0)

.....प्रार्थीगण

बनाम

01. जमनी पुत्री चुनीलाल जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी उमाजी का खेडा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज0)
02. शंकर लाल पुत्र कजोड जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी उमाजी का खेडा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज0)
03. दुर्गेश कुमार पुत्र देवा लाल जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी उमाजी का खेडा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज0)

.....विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 - 128 रा0ले0रे0एक्ट

-: आदेश :-

दिनांक - 15/4/2024

प्रार्थना पत्र घीसी देवी पत्नि हीरालाल, छोटी देवी पत्नि नाना लाल, मनोज कुमार पुत्र छितरलाल जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी उमाजी का खेडा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज0) ने जरिये अभिभाषक श्री पिंकोश धाकड प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते भूमि मौजा उमाजी का खेडा पटवार हल्का उमाजी का खेडा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में आराजी संख्या 112/1, 189/3, 189/4, 4, 474/190 कुल किता 5 रकबा 0.4289 हैक्टेयर भूमि पर विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगडा करते हैं। अतः पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान कराया जावे साथ में प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2075-2078 के अवलोकन से प्रार्थीगण वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार काश्तकार है। पड़ौसियान के विवाद करने बाबत् शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढ़ी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। भू-अभिलेख निरीक्षक उमाजी का खेडा को पत्थरगढ़ी बाबत् कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। कमीश्नर फीस नियमानुसार वक्त मौका प्रार्थी अदा करें।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान लेण्ड रेकार्ड एक्ट स्वीकार किया जाकर मौजा उमाजी का खेडा पटवार हल्का उमाजी का खेडा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में आराजी संख्या 112/1, 189/3, 189/4, 4, 474/190 कुल किता 5 रकबा 0.4289 हैक्टेयर भूमि बशामलात पड़ौसियान के पत्थरगढ़ी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढ़ी शुल्क राशि 100 /- रुपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियाँ को लिखा जावे।

प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ

